

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(8) राज/वाद/14 पार्ट-4

जयपुर, दिनांक 11-5-18

:: आदेश ::


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट
मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री राजकुमार शर्मा,
अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/503/91) को जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा
में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक
भीलवाड़ा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर
एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के
लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।
- जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
- कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
- संबंधित अभियोजक।
- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- संहायक लेखाधिकारी वादकरण।
- प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(17) राज / वाद / 14

जयपुर, दिनांक 11-5-18

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1136/98) को राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक (सिविल), हनुमानगढ़ के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.2019 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

२०
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
6. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़।
7. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
8. कोषाधिकारी, हनुमानगढ़।
9. संबंधित अभियोजक।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
12. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

२०
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(18) राज/वाद/14 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक ११-५-१४

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेर्स डिपार्टमेंट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री प्रमोद सिंह शेखावत, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/2159/2009) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं०८ जयपुर महानगर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० ८ जयपुर महानगर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

२०
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं०८, जयपुर महानगर।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- कोषाधिकारी, जयपुर।
- संबंधित अभियोजक।
- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
- प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

२१
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक प08(18) राज / वाद / 14 पार्ट-6

जयपुर, दिनांक 11-5-18

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर / 1852 / 05) को अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0) सं02, जयपुर महानगर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक (म0उ0) सं0 2, जयपुर महानगर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,



(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर।
7. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (म0उ0) सं02, जयपुर महानगर।
8. जिला कलक्टर, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. संबंधित अभियोजक।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
13. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(18) राज / वाद / 14 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक ११-५-१४

॥ आदेश ॥

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री ओम प्रकाश माथुर, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/ 633/ 88) को विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) जयपुर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो) जयपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशेप रु. 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
6. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर / जयपुर जिला।
7. विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. संबंधित अभियोजक।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
13. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्यविभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(24) राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक ११-५-१४

॥ आदेश ॥

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री योगेश दशोरा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/2053/06) को अपर जिला एंव सेशन न्यायालय सं०3, चित्तौडगढ़ में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक सं०3, चित्तौडगढ़ के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

४०.
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौडगढ़।
7. अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश सं०3, चित्तौडगढ़।
8. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ़।
9. कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़।
10. संबंधित अभियोजक।
11. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
13. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

४१
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
 विधि एवं विधिक कार्य विभाग
 (राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(28) राज / वाद / 14 पार्ट-3

जयपुर, दिनांक 11-5-18

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री श्याम सुन्दर झालानी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/234/90) को जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक कोटा के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,


 (संजय कुमार)
 शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
6. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटा।
7. जिला कलक्टर, कोटा।
8. कोषाधिकारी, कोटा।
9. संबंधित अभियोजक।
10. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
11. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
12. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


 (संजय कुमार)
 शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(32) राज / वाद / 14 पार्ट-10

जयपुर, दिनांक 11-5-18

:: आदेश ::


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्रीमती वन्दना शर्मा (उदावत), अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/764/1994) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02 उदयपुर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 2 उदयपुर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
- राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं02, उदयपुर।
- जिला कलक्टर, उदयपुर।
- कोषाधिकारी, उदयपुर।
- संबंधित अभियोजक।
- समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- स्खायक लेखाधिकारी वादकरण।
-  प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(35) राज / वाद / 14

जयपुर, दिनांक ११-५-१४

आदेश :

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्यूअल 1999 के नियम 15 (2), 16 एवं 17 के अनुसार श्री विक्रम पाल सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/998/03) को अपर जिला एंव सेशन न्यायालय सं०१ हिण्डौन सिटी, जिला करौली में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु अपर लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक सं० १ हिण्डौन सिटी, जिला करौली के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष (दिनांक 10.05.19 तक) या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

SD
(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
6. जिला एंव सेशन न्यायाधीश, करौली।
7. अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश सं०१, हिण्डौनसिटी जिला करौली।
8. जिला कलक्टर, करौली।
9. कोषाधिकारी, करौली।
10. संबंधित अभियोजक।
11. समर्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
12. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
13. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि